

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठसीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 51/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-2020/00172

वादी

बनाम

प्रतिवादी

खमाराम पुत्र छोगाराम  
जाति विश्‍नोई  
निवासी डोली कंला  
तहसील पचपदरा  
वर्तमान तहसील कल्याणपुर

1.बंशीलाल पुत्र छोगाराम  
2.श्रवण पुत्र छोगाराम  
3.श्रीमति पंखलीदेवी पत्नि छोगाराम  
4.इन्द्रा पुत्री छोगाराम  
जाति विश्‍नोई निवासी डोली कंला  
तहसील पचपदरा वर्तमान  
तहसील कल्याणपुर  
5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार  
कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री भंवरलाल विश्‍नोई अधिवक्ता वादी
- 2.श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4
- 3.प्रतिवादी संख्या 05 एकतरफा

निर्णय

दिनांक- 24/04/2024

संक्षिप्त मे वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद ग्राम डोली कंला तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 247,264,265,518, कुल रकबा 50.06 बीघा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 22.9.2020 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जो बाद सुनवाई वादी का वाद बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद ग्राम डोली कंला तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 247, 264, 265, 518, कुल रकबा 50.06 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	बरंग
1	खमाराम पुत्र छोगाराम हिस्सा पूर्ण डोली कंला जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	डोली कलां	518 264	1.4754 1.0690	बा.दो. बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार
2	बंशीलाल पुत्र छोगाराम हिस्सा पूर्ण डोली कलां जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	डोली कलां	518 264 265	1.4754 0.6965 0.3726	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार
3	श्रवण पुत्र छोगाराम हिस्सा पूर्ण डोली कलां जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	डोली कलां	518 265	1.4754 1.0691	बा.दो. बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार
4	इन्द्रा पुत्री छोगाराम हिस्सा पूर्ण डोली कलां जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	डोली कलां	247 264	2.2257 0.3187	बा.दो. बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार
5	पंखलीदेवी पत्नि छोगाराम हिस्सा पूर्ण डोली कलां जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	डोली कलां	247 264	2.2258 0.3186	बा.दो. बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार

तहसीलदार, कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(अशोक कुमार) 24/04/2026  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.4.2026 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(S.D.O.) बालोतरा  
24/04/2026

मूलवाद में अंतिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 51/2020  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020/00172

वादी

बनाम

प्रतिवादी

खमाराम पुत्र छोगाराम  
जाति विश्नोई  
निवासी डोली कंला  
तहसील पचपदरा  
वर्तमान तहसील कल्याणपुर

1. बंशीलाल पुत्र छोगाराम  
2. श्रवण पुत्र छोगाराम  
3. श्रीमति पंखलीदेवी पत्नि छोगाराम  
4. इन्द्रा पुत्री छोगाराम  
जाति विश्नोई निवासी डोली कंला  
तहसील पचपदरा वर्तमान  
तहसील कल्याणपुर  
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर :51/2020

निर्णय दिनांक :- 24.4.2026

वादी की ओर से श्री भंवरलाल विश्नोई अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 05 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 24.4.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.4.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.4.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



  
(अशोक कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

## वाद के खर्च

वादीगण		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	---	जोड़	---



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बठानगर

*(Handwritten signature)*